

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/सीलिंग/3108/2000/बारां

किशनलाल पुत्र नारायण - मृतक - जरिये (कायममुकाम)

1. शिवराम, बिरधीलाल पुत्रगण किशनलाल
2. पुष्पाबाई, हेमन्त बाई, द्रोपदी बाई, रामकन्या बाई पुत्रियां किशनलाल जाति किराड निवासीगण ग्राम कमोटिया तहसील अट्रू जिला बारां।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अट्रू।

.....रेस्पोंडेंट्स

एकल पीठ

श्री द्वारका लाल मीणा, सदस्य

उपस्थित:-

श्री जे०के०पंत व श्री शाहबुद्दीन, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री ओ०पी०भट्ट, उपराजकीय अधिवक्ता, सरकार

निर्णय

दिनांक:- 20-06-2018

यह अपील राजस्थान राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 (एतद् पश्चात 'अधिनियम 1973') के अंतर्गत जिला कलक्टर बारां के निर्णय दिनांक 14-6-2000 (प्रकरण संख्या 02/1994) के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कटावर में 195 बीघा 4 बिस्वा रामगोपाल व किशनलाल हिस्सा 1/2 व प्रभूलाल, डालूराम हिस्सा 1/2, ग्राम कनोटिया 327 बीघा 7 बिस्वा रामगोपाल, किशनलाल हिस्सा 2/3, प्रभूलाल, डालूराम हिस्सा 1/3, ग्राम मोजखेडी 82 बीघा 7 बिस्वा व हिस्सा रामगोपाल (पृथक से)। इस प्रकार दिनांक 1-4-1966 को रामगोपाल, किशनलाल, प्रभूलाल व डालूराम के

अपील/सीलिंग/3108/2000/बारां
शिवराम वगैरहा बनाम सरकार

जमाबंदी में वर्णित वर्गीकरण के आधार पर निम्नानुसार स्टेण्डर्ड एकड भूमि होती है:-

ग्राम	भूमि बीघा	स्टेण्डर्ड एकड	नाम
1.	कटावर 48 बीघा 16 बिस्वा	14-57	रामगोपाल
2.	कटावर 48 बीघा 16 बिस्वा	14-58	किशनलाल
3.	कटावर 48 बीघा 16 बिस्वा	14-57	प्रभूलाल
4.	कटावर 48 बीघा 16 बिस्वा	14-58	डालूराम
5.	कनोटिया 109 बीघा 2 बिस्वा	19-82	रामगोपाल
6.	कनोटिया 109 बीघा 2 बिस्वा	19-82	किशनलाल
7.	कनोटिया 54 बीघा 11 बिस्वा	9-91	प्रभूलाल
8.	कनोटिया 54 बीघा 11 बिस्वा	9-91	डालूराम
9.	मोजूखेडी 82 बीघा 7 बिस्वा	15	रामगोपाल

इस प्रकार प्रत्येक के निम्नानुसार भूमि होती है:-

1. रामगोपाल 230 बीघा 5 बिस्वा 49-39 स्टेण्डर्ड एकड
2. किशनलाल 157 बीघा 18 बिस्वा 34-40 स्टेण्डर्ड एकड
3. प्रभूलाल 103 बीघा 7 बिस्वा 24-48 स्टेण्डर्ड एकड
4. डालूराम 103 बीघा 7 बिस्वा 24-49 स्टेण्डर्ड एकड

3. किशनलाल के विरुद्ध नये सीलिंग अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गई। उक्त कार्यवाही में निर्णय दिनांक 23-4-1976 के द्वारा 4-40 स्टेण्डर्ड एकड भूमि को अधिग्रहण योग्य माना गया, जिसे उपजिला कलक्टर बारां के निर्णय दिनांक 31-10-1988 द्वारा यथावत रखा गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थीगण ने प्रथम अपील जिला कलक्टर बारां के समक्ष पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 25-7-1994 द्वारा यथावत रखा। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थीगण ने राजस्व मण्डल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की, जिसे मण्डल की पूर्व माननीय एकल पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 31-3-1998 द्वारा स्वीकार करते प्रकरण को जिला कलक्टर बारां को इस आशय के साथ के प्रतिप्रेषित किया कि अतिरिक्त साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए पक्षकारान

को नियमानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान कर तीन माह में निर्णय पारित करें। उक्त प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 14-6-2000 द्वारा अपीलार्थी की अपील खारिज कर उपजिला कलक्टर बारां के निर्णय दिनांक 31-10-1988 यथावत रखा। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 14-6-2000 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने राजस्व मण्डल के समक्ष यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

4. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी।

5. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय को आदेश 41 नियम 31 जाप्ता दीवानी के विपरीत होना बताया। उनका कहना है कि मण्डल के समक्ष पूर्व में द्वितीय अपील के विचारण के दौरान विभिन्न राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे भूमि पुश्तैनी होना सिद्ध है। अतः पुराने अधिनियम के नियम 17 (4) व नया अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत प्रार्थी पृथक इकाई के हकदार होकर तीन इकाई है, इस प्रकार मामले में अधिग्रहण योग्य भूमि नहीं है। आगे बताया कि मण्डल ने पुश्तैनी भूमि में प्रार्थीगण जो कि बालिग थे को पृथक इकाई का लाभ नहीं देने तथा उनकी भूमि को भी किशनलाल के साथ जोड़ने में अनियमितता की है, इस प्रकार दोहरा दण्ड नहीं दिया जा सकता है। आगे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा कार्यवाही की है। उनका आगे कहना है कि नये सीलिंग अधिनियम के अनुसार किशनलाल के प्राईमेरी यूनिट के अलावा शिवराम व बिरधीलाल दो पृथक यूनिट है तथा वक्त कार्यवाही शिवराम व बिरधीलाल के परिवार के दो पृथक यूनिट है तथा उक्त कार्यवाही शिवराम के परिवार में 6 तथा बिरधीलाल के परिवार में 5 सदस्य बताये गये है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा पेश सदस्यों की सूची व आयु को नहीं मानकर त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त मामले में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को पुराने सीलिंग अधिनियम के तहत गलत तौर पर विचारण किया है। जबकि आराजी पैत्रक है जिनके बाबत दस्तावेज संलग्न है। उनका तर्क है कि दिनांक 1-4-1966 को बालिग पुत्र शिवराम व बिरधीलाल थे, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने नियम 17

(4) का लाभ नहीं देकर भारी भूल की है। इसके अतिरिक्त पत्रावली में स्टेण्डर्ड एकड की गणना गलत की है। उनका यह भी तर्क है कि मामले में ड्राफ्ट स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है जो कि आवश्यक था। अंत में उन्होंने अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर बारां का निर्णय दिनांक 14-6-2000 तथा उपजिला कलक्टर बारां का आदेश दिनांक 31-10-1988 को निरस्त किया जाए तथा अपीलार्थीगण के धारण में कोई भूमि अधिग्रहण योग्य नहीं होना घोषित किए जाने का निवेदन किया है।

6. इसके विपरीत विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय न्यायसंगत, तर्कसंगत व विधि सम्मत है, जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। उनका कहना है कि मामले में मण्डल द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के क्रम में आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है। अतः आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत होने के कारण यथावत रखे जाने योग्य है।

7. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया।

8. पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने पर प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है कि निर्धारिती किशनलाल पुत्र नारायण किराड को प्राप्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है जो नारायण पुत्र उदा किराड कनोडिया की विरासत से उसे प्राप्त हुई है, जिसकी पुष्टि खाता सम्वत 1989-1990, 1990-1991, तथा वर्ष 1934 से 1937 से होती है। नारायण की मृत्यु के बाद आराजी जरिये नामान्तरकरण संख्या 765 दिनांक 15-4-1941 व नामान्तरकरण संख्या 558 दिनांक 1-2-1941 से नारायण के पुत्र हरदेव, रामगोपाल व किशनलाल के खाते दर्ज हुई है। तीनों भाईयों के बंटवारे के बाद वर्ष 1958 की स्थिति व पुराने सीलिंग कानून के अनुसार किशनलाल के खाते में 157 बीघा 18 बिस्वा भूमि मानी जाकर सीलिंग कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

9. पैतृक सम्पत्ति में उत्तराधिकारी का पृथक-पृथक शेयर के अनुसार मामले में सीलिंग सीमा का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है तथा स्टेण्डर्ड एकड जमाबंदी में दर्ज भूमि की किस्म के अनुसार बनाये जायेंगे। हमारे इस मत की पुष्टि 1992 आरआरडी 693 से होती है। अविभाजित संयुक्त हिन्दू परिवार की आराजी में प्रत्येक बालिग पुत्र का नोशनल शेयर माना जाकर उन्हें पृथक यूनिट माना जाएगा तथा उसी अनुसार सीलिंग एरिया का निर्धारण किया जायेगा। तहसील की जांच रिपोर्ट दिनांक 1-1-1973 के अनुसार किशनलाल की उम्र 63 वर्ष, शिवराम की उम्र 41 साल व बिरधीलाल की उम्र 35 वर्ष बताई गई है। जबकि नामान्तरकरणों की रिपोर्टों के अनुसार किशनलाल की उम्र 68, शिवराम की उम्र 42 तथा बिरधीलाल की उम्र 38 वर्ष अंकित है। नये सीलिंग कानून के अनुसार दिनांक 1-1-1973 की स्थिति का विवेचन धारा 4 (1) (2) तथा धारा 5-बी के अनुसार किया जाना अपेक्षित है, जिसके अनुसार किशनलाल की प्राईमेरी यूनिट तथा शिवराम व बिरधीलाल की दो पृथक-पृथक यूनिट अर्थात् कुल तीन यूनिट होती है तथा प्रत्येक 48-48 स्टेण्डर्ड एकड भूमि धारण करने के अधिकारी है। जिसे जिला कलक्टर बारां ने अपने आक्षेपित निर्णय में स्वीकार कर सीलिंग कार्यवाही में कोई भूमि अधिग्रहित योग्य नहीं मानी गयी है, जिससे हम सहमत है।

10. पुराना सीलिंग कानून की धारा 30 (बी) व 30 (सी) का सुसंगत प्रावधान निम्नानुसार है:-

30-B, Definitions - For the purposes of the Chapter-

(a) "family" shall mean a family consisting of a husband and wife, their children and grand-children being dependent on them and the widowed mother or the husband so dependent, and

(b) "person" in the case of an individual, shall include the family of such individual.

30-C, Extent of Ceiling Area- The ceiling area for a family consisting of five or less than five members shall be thirty standard acres of land:

Provided that, where the members of a family exceed five, the ceiling area in relation thereto shall be increased for each additional member by five standard acres, so however that it does not exceed sixty standard acres of land.

विधायिका की उक्त मंशा के अनुसार भूमि व परिवार की स्थिति को दिनांक 1-4-1966 की निर्धारित तिथि मानी जाकर सीलिंग भूमि की

गणना किया जाना अपेक्षित है। निर्धारित तिथि दिनांक 1-4-1966 को शिवराम व बिरधीलाल बालिग थे तथा किशनलाल पर आश्रित नहीं थे। इसलिए किशनलाल, शिवराम, बिरधीलाल तीनों 30-30 स्टेण्डर्ड एकड भूमि अर्थात् 90 स्टेण्डर्ड एकड भूमि धारण करने के अधिकारी है। धारा 30-सी के अनुसार 5 सदस्य तक 30 व 5 से ज्यादा 2 सदस्य होने के कारण $30 + 10 = 40$ स्टेण्डर्ड एकड भूमि धारित करने के निर्धारिती अधिकारी है। तहसील की रिपोर्ट के अनुसार किशनलाल के परिवार में 7 सदस्य थे। यदि 7 सदस्य भी माने जाते हैं तो 40 स्टेण्डर्ड एकड भूमि धारित करने के अधिकारी है। मामले में कुल आराजी 34-40 स्टेण्डर्ड एकड बताई गई है। दोनों स्थिति में कुछ भी माना जावे तो भी वह सीमा 60 स्टेण्डर्ड एकड से कम है, जो सीलिंग सीमा से कम है। अतः निर्धारिती के पास अधिग्रहण योग्य कोई भूमि शेष नहीं रहती है।

11. पुराने सीलिंग अधिनियम की धारा 17 (4) के तहत पृथक-पृथक यूनिट या धारा 30-सी के तहत परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर दोनों ही स्थिति में सीलिंग सीमा से ज्यादा भूमि निर्धारिती के पास नहीं है।

12. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14-6-2000 एवं उपखण्ड अधिकारी बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31-10-1988 को अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थीगण के विरुद्ध संस्थित की गयी सीलिंग कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। तहसीलदार अट्रू को निर्देशित किया जाता है कि सीलिंग कार्यवाही के दौरान यदि भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया गया है तो अपीलार्थी के खाते में अमल दरामद किए जाने की कार्यवाही करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(द्वारका लाल मीणा)
सदस्य

अपील/सीलिंग/3108/2000/बारां
शिवराम वगैरहा बनाम सरकार